रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94

REGD. NO. D.L.-33004/94

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 504] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 6, 1994/आश्विन 14, 1916
No. 504] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 1994/ASVINA 14, 1916

केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय
CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
भारत सरकार

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1994

का.आ. 726(अ).—केन्द्रीय सरकार, वायुयान नियम, 1937 के नियम 3क के उपनियम (2) के अनुसरण में और भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3562 तारीख 29 सितम्बर, 1976 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, इससे उपाबद्ध प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, नागर विमानन के महानिदेशक की उन शक्तियों का (जो इससे उपाबद्ध द्वितीय अनुसूची में और विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित है) प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है, जो उक्त प्रथम अनुसूची के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है।

प्रथम अनुसूची

अधिकारी का पदनाम	प्रयोग की जाने वाली द्वितीय अनुसूची की शक्तियां
(1)	(2)
संयुक्त महानिदेशक, नागर विमानन (संयुक्त महानिदेशक, नागर विमानन, अनुसंधान और विकास के सिवाय)	सभी
उप महानिदेशक, नागर विमानन (उप महानिदेशक, नागर विमानन अनुसंधान और विकास के सिवाय)	1 से 5, 7, 12, 13, 15 से 37, 39 से 83
निदेशक, उड्डयन योग्यता (मुख्यालय)	1 से 5, 7, 12, 13, 15 से 37, 39 से 42, 47, 48, 50, 51, 53 से 56, 58, 59 64 से 73, 76 से 83।
निदेशक, उड्डयन योग्यता (क्षेत्र)	4, 16, 18 से 34, 36, 37 39 से 42, 47, 48, 50, 51, 54, 58, 64 से 70, 73, 76 से 82
उप निदेशक, उड्डयन योग्यता (मुख्यालय)	2 से 4, 16 से 21, 26 से 34, 36, 37, 39 से 42, 50, 53 से 56, 65 से 70, 79 से 82।
नियंत्रक, उड्डयन योग्यता	4, 16, 18, 21, 22, 25 से 28, 30, 34, 37, 39 से 41, 50, 51, 58, 65, 70, 77, 79 से 82
ज्येष्ठ उड्डयन योग्यता अधिकारी (मुख्यालय)	4, 17, 18 (15,000 कि.ग्रा. भार तक के भार वाले विमान तक निर्बन्धित) 20, 21, 23, 37, 39, 70, 79, 821

(1)	(2)
ज्येष्ठ उड्डयन योग्यता अधिकारी (उड्डयन योग्यता कार्यालय का भारसाधक)	4, 18 (15,000 कि.ग्रा. तक के भार वाले विमान तक निर्बन्धित) 20, 21, 26, 37, 39, 70, 79, 82।
ज्येष्ठ उड्डयन योग्यता अधिकारी (क्षेत्र)	4, 18 (15,000 कि.ग्रा. तक के भार वाले विमान तक निर्बन्धित), 26 से 28, 37, 39, 70, 82
उड्डयन योग्यता अधिकारी (उड्डयन योग्यता कार्यालय का भारसाधक)	4, 18 (2,000 कि.ग्रा. तक के भार वाले विमान तक निर्बन्धित) 26 से 28, 37, 39, 70, 82।
उड्डयन योग्यता अधिकारी	4, 18 (2,000 कि.ग्रा. तक के भार वाले विमान तक निर्बन्धित), 26, 37, 70, 82।
संयुक्त महानिदेशक, नागर विमानन, (अनुसंधान और विकास)	10 से 13, 15 से 17, 30, 31, 41, 47, 48, 51।
उप महानिदेशक, नागर विमानन (अनुसंधान और विकास)	10 से 13, 15 से 17, 30, 31, 41, 47, 48, 51।
निदेशक, अनुसंधान और विकास	16, 17, 30, 31, 51
उपनिदेशक, अनुसंधान और विकास	16, 17, 30, 31, 51
निदेशक, वायु सुरक्षा	51, 52, 70
उपनिदेशक, वायु सुरक्षा	51, 52, 70
क्षेत्रीय निदेशक, वायु सुरक्षा	51, 52, 70
सहायक निदेशक, वायु सुरक्षा	51, 70
ज्येष्ठ वायु सुरक्षा अधिकारी	51, 70
वायु सुरक्षा अधिकारी	51, 70
निदेशक, प्रशिक्षणवार अनुज्ञापन	7, 75
निदेशक, विनियमन और सूचना	74
उप निदेशक, वायु परिवहन	74
सुरक्षा आयुक्त (नागरविमानन)	60
अपर सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन)	60
उपायुक्त, सुरक्षा (नागर विमानन)	60
अध्यक्ष, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत राष्ट्रीय विमान पत्तन का अधिकारी	61

द्वितीय अनुसूची

क्रम सं.	नियम जिसके द्वारा शक्ति प्रदत्त की गई है।	शक्ति की प्रकृति
(1)	(2)	(3)
1.	नियम 7 ख	सामान्य भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी वायुयान की बाबत काकपिट पड़ताल सूची और आपात पड़ताल सूची को विनिर्दिष्ट करना।
2.	नियम 15 का उपनियम (2)(i)	माइक्रोलाइट वायुयान के लिए न्यूनतम डिजाइन अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट करना।
3.	नियम 15 का उपनियम (2)(ii)	माइक्रोलाइट वायुयान की बाबत उड़ान करने के लिए अनुज्ञापन जारी करना और उसका नवीकरण करना।
4.	नियम 15 का उपनियम (2)(ii)	माइक्रोलाइट वायुयान की बाबत उड़ान करने के लिए अनुज्ञापन का नवीकरण करना।
		वायुयान का रजिस्ट्रीकरण
5.	नियम 37 का उपनियम (2)(क) और उपनियम (2)(ख)	राष्ट्रिकता और रजिस्ट्रीकरण चिह्नांकनों को लगाने का रूप और रीति विनिर्दिष्ट करना।
		वायुयान के कार्मिक
6.	नियम 41 का पहला परंतुक	प्राइवेट पाइलट अनुज्ञप्ति, वाणिज्यिक पाइलट अनुज्ञप्ति और एयरलाइन पाइलट अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए भारतीय वायु सेना, भारतीय सेना के वायु प्रचालन विंग या भारतीय नौ सेना के कतिपय कार्मिकों को उड़ान परीक्षा तथा चिकित्सीय और तकनीकी परीक्षाओं में छूट प्रदान करना।
7	नियम 41 क का उपनियम (1)	अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट परीक्षाओं को संचालित करना, परीक्षा केन्द्र नियत करना, अधीक्षकों को नियुक्त करना और उनसे संबंधित प्रक्रियाएं अधिकथित करना।
8	नियम 41 क का उप नियम (2)	अनुसूची 2 के अधीन अपेक्षित उड़ान परीक्षण और तकनीकी परीक्षाएं करने के लिए परीक्षकों को नियुक्त करना।
9.	नियम 41 क का उपनियम (3)	एक बार में ही दक्षता जांच के लिए व्यक्तिक मामलों में पायलटों और परीक्षकों की जांच का अनुमोदन करना।
		उड़न योग्यता और वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर
10.	नियम 49 का उपनियम (1) और नियम 49 क	यह निदेश करना कि वायुयान की उड़ान योग्यता के प्रमाणपत्र को जारी करने, नवीकरण करने या उसकी निरंतर विधिमान्यता बनाये रखने के लिए पूर्व-अपेक्षा के रूप में भारत में डिजाइन किए गए विनिर्मित किये गए विक्रय किए बेचे गये या वितरित किए गये वायुयान, वायुयान संघटक या उपस्कर की मद के लिये एक टाइप प्रमाणपत्र होगा।
11.	नियम 49 का उपनियम (3) और नियम 49 क का उपनियम (2) तथा नियम 49 ख	टाइप प्रमाणपत्र को जारी करना उसे विधिमान्य करना, तथा इस प्रयोजन के लिए आवश्यक दस्तावेजों तथा अन्य साक्ष्य विनिर्दिष्ट करना।
12.	नियम 49 ख का परन्तुक	इस नियम के उपबंध से किसी वायुयान, वायुयान संघटक या उपस्कर की मद को छूट देना।

(1)	(2)
13. नियम 49 ग	टाइप प्रमाणपत्रों को, चाहे वे जारी किए गए हों या विधिमान्य किए गए हों एक अथवा अधिक प्रवर्गों में समूहित करना ।
14 नियम 49घ	किसी वाययान, वायुयान संघटक या उपस्कर की मद के टाइप प्रमाणपत्र को, जो जारी किया गया है या विधिमान्य किया गया है, रद्द करना ।
15. नियम 49 घ	किसी वायुयान, वायुयान संघटक या उपस्कर की मद के टाइप प्रमाणपत्र को, जो जारी किया गया है या विधिमान्य किया गया है निलंबित या पृष्ठांकित करना ।
16. नियम 49 घ	किसी टाइप प्रमाणपत्र को, जो जारी किया गया है या विधिमान्य किया गया है निरंतर विधिमान्यता के लिये एक शर्त के रूप में वायुयान, वायुयान संघटक या उपस्कर की मद में किसी उपान्तरण के निगमन की अपेक्षा करना ।
17. नियम 50 का उपनियम (2) और उपनियम (3)	किसी वायुयान की बाबत उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र को जारी करना, उसका नवीकरण करना या उसे विधिमान्य करना, और इस प्रयोजन के लिए दस्तावेजों अथवा अन्य साक्ष्य या तकनीकी आकड़े विनिर्दिष्ट करना ।
18. नियम 50 का उपनियम (2)	किसी वायुयान की बाबत उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र का नवीकरण करना और इस प्रयोजन के लिए दस्तावेजों तथा अन्य साक्ष्य विनिर्दिष्ट करना ।
19. नियम 50 का उपनियम (4)	किसी वायुयान की उड्डयन योग्यता प्रमाण पत्र को एक या अधिक प्रवर्गों में जारी करना उसका नवीकरण करना या उसे विधिमान्य करना ।
20. नियम 50 का उपनियम (5)	किसी वायुयान की उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि को विनिर्दिष्ट करना ।
21. नियम 50 का उपनियम (5)	किसी वायुयान का निरीक्षण करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करना ।
22. नियम 50 का उपनियम (5)	जब वायुयान उड़ रहा है तब उसकी परीक्षा करने की अपेक्षा करना ।
23. नियम 50 क का उपनियम (1)	किसी वायुयान के किसी विशिष्ट टाइप या वर्ग की उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र की बाबत शर्तें विनिर्दिष्ट करना ।
24. नियम 50क का उपनियम (1)	किसी वायुयान के किसी विशिष्ट टाइप या वर्ग का उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र की बाबत मानक विनिर्दिष्ट करना ।
25. नियम 50क का उपनियम (2)	वायुयान की उड्डयन योग्यता के प्रमाणपत्र के प्रवृत्त रहने के लिए वायुयान, उसके संघटक या उसके उपस्कर को मद में उपान्तरण के निगमन की अपेक्षा करना ।
26. नियम 50क का उपनियम (2)	वायुयान की उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र के प्रवृत्त रहने के लिए वायुयान या उसके संघटक या उपस्कर की किसी मद में मरम्मत किए जाने की अपेक्षा करना अथवा वायुयान के संघटक या उपस्कर को किसी मद के प्रतिस्थापन की अपेक्षा करना ।
27. नियम 50क का उपनियम (2)	वायुयान की उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र के प्रवृत्त रहने के लिए वायुयान या उसके संघटक या उपस्कर की किसी मद के निरीक्षण की अपेक्षा करना
28. नियम 50क का उपनियम (2)	वायुयान की उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र के प्रवृत्त रहने के लिए वायुयान या उसके संघटक या उपस्कर की किसी मद के ओवरहाल की अपेक्षा करना।
29. नियम 51	उड्डयन मैनुअल ले जाने के लिए उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र को पृष्ठांकित करना ।
30. नियम 52 का उपनियम (3)	वायुयान, वायुयान संघटक या उपस्कर की मद की बाबत उपान्तरण का अनुमोदन करना और उसके साक्ष्य विनिर्दिष्ट करना ।
31. नियम 52 का उपनियम (3)	वायुयान, वायुयान संघटक या उपस्कर की मद की बाबत मरम्मत संबंधी स्कीमों को अनुमोदित करना और उसके लिए साक्ष्य विनिर्दिष्ट करना ।
32. नियम 52 का उपनियम 5(क) और उपनियम 5(ख)	किसी बड़े नुकसान या किसी बड़ी त्रुटि को सुधारने के पश्चात् अपेक्षित प्रमाण-पत्र की रीति विनिर्दिष्ट करना ।
33. नियम 52 का उपनियम (6) और उपनियम (7)	किसी वायुयान, संघटक या उपस्कर की मद को उपान्तरित या उसकी मरम्मत करने के पश्चात् जारी किए गये प्रमाणपत्र के प्ररूप रीति वितरण या परिरक्षण को विनिर्दिष्ट करना और इस प्रयोजन के लिए अनुदेशों को विनिर्दिष्ट या अनुमोदित करना ।
34. नियम 53 का उपनियम (1)	निरीक्षण और प्रमाण के लिए उत्तरदायी अनुज्ञप्त अनुमोदित प्राधिकृत, व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करना ।
35. नियम 53 का उपनियम (3)	व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को नियम 53 के परन्तुक से पूर्णतः या अंशतः छूट देना ।

(1)	(2)
36. नियम 53 क	वायुयान, वायुयान संघटक और उपस्कर को मद या वायुयान में प्रयुक्त या प्रयोग के लिए आशयित किसी अन्य सामान के विनिर्माण और वितरण के लिए जारी करने के लिए अपेक्षित प्रमाणपत्रों की प्रतियों के प्ररूप और रीति, वितरण तथा परीक्षण को विनिर्दिष्ट करना ।
37. नियम 55 के उपनियम (2) का खंड (क)	उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र को निलंबित करना ।
38. नियम 55 के उपनियम (2) का खंड (क)	उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र रद्द करना ।
39. नियम 55 के उपनियम (2) का खंड (ख)	यह विनिर्दिष्ट करना कि उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र के प्रवृत्त रहने की शर्त के रूप में वायुयान, वायुयान संघटक या उपस्कर की मद का किसी अनुमोदित व्यक्ति के पर्यवेक्षण में उपान्तरण, मरम्मत प्रतिस्थापन, ओवरहाल और निरीक्षण जिसके अंतर्गत उड्डयन प्रशिक्षण भी है, होना चाहिए ।
40. नियम 55 के उपनियम (4) का खंड (क)	किसी ऐसे वायुयान की, जिसका उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र निलंबित कर दिया गया है या निलंबित हुआ समझा गया है, यात्रा रहित, "फेरा" उड़ान की अनुज्ञा देना ।
41. नियम 55 के उपनियम (4) का खंड (ख)	प्रयोग या परीक्षण के प्रयोजनों के लिए उड़ानों को प्राधिकृत करना ।
42. नियम 55 के उपनियम (4) का खंड (ग)	जहां व्यक्तियों या वायुयान की सुरक्षा या मदद अन्तर्वलित हो, वहां उड़ानों को प्राधिकृत करना ।
43. नियम 56 के उपनियम (1) का खंड (ब)	विशेष प्रयोजनों के लिए उड़ानों को प्राधिकृत करना ।
44. नियम 55 का उपनियम (5)	वायुयान को नियम 55 के प्रवर्तन से छूट देना ।
45. नियम 56 का उपनियम (क)	नियम 56 की अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए संविदाकारी राज्यों की अपेक्षाओं को मान्यता देना ।
46. नियम 56 का उपनियम (ख)	नियम 56 की अपेक्षानुसार प्रमाणन के लिए, गैर संविदाकारी राज्यों के व्यक्तियों की अर्हताओं को मान्यता देना ।
47. नियम 57 का उपनियम (1) और उपनियम (2)	किसी वायुयान के लिए उपकरणों और उपस्कर अथवा किसी विशेष उपस्कर की, जिसके अंतर्गत रेडियो साधित्र भी है, संस्थापना को निर्दिष्ट और अनुमोदित करना ।
48. नियम 58 का उपनियम (1) और उपनियम (2)	अधिकतम अनुज्ञेय वजन करने, तत्स्थानी गुरुत्व, केन्द्र संभाग, वायुयान का वजन करने की शर्तें और वजन अनुसूची, भार तथा ट्रिमशीटों का प्रदर्शन विनिर्दिष्ट करना ।
49. नियम 58 का परन्तुक	वायुयान को नियम 58 के प्रवर्तन से छूट देना ।
50. नियम 59 का उपनियम (1)	बड़ी त्रुटियुक्त संघटकों या पुर्जों को किसी या बड़े नुकसान की रिपोर्ट करने की रीति विनिर्दिष्ट करना ।
51. नियम 59 का उपनियम (2)	वायुयान के त्रुटियुक्त संघटकों या पुर्जों को किसी व्यक्ति या संगठन को परिदत्त करने की अपेक्षा करना ।
52. नियम 59-क का उपनियम (1)	ऐसे विदेशी वायुयान को, जिसमें कोई बड़ा नुकसान हो जाता है या जिसमें कोई बड़ी त्रुटि पाई जाती है उड़ान से प्रतिषेध करना ।
53 नियम 59-क का उपनियम (4)	किसी ऐसे विदेशी वायुयान को, जिसमें कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, उड़ानों को अनुज्ञा देना और उनके लिए शर्तें अधिरोपित करना ।
54. नियम 60 का उपनियम (2) (क) और उपनियम (2) (ख)	किसी वायुयान, संघटक या उपस्कर की मद के अनुरक्षण के लिए शर्तें और मानक विनिर्दिष्ट करना ।
55. नियम 60 का उपनियम (3) और उपनियम (4)	अनुरक्षण संबंध अपेक्षाओं, अनुरक्षण प्रमाणन के लिए कार्मिक और नियम 60 के अधीन अपेक्षित अंतर्वस्तुओं में, प्ररूप, विधिमान्यता की अवधि और व्ययन प्रमाणपत्र के परिरक्षण को विनिर्दिष्ट करना ।
56. नियम 60 का उपनियम (5)	किसी वायुयान या वायुयान के वर्ग की बाबत त्रुटिसूचक सूची को अनुमोदित करना ।
57. नियम 60 का परन्तुक	वायुयान को नियम 60 के प्रवर्तन से छूट देना ।
	लाग बुक
58. नियम 67 का उपनियम (2)	किसी वायुयान की बाबत उपबंधित तकनीकी लाग या उड़ान लाग की अपेक्षा करना और उसे बनाए रखने की पद्धति विनिर्दिष्ट करना ।
59. नियम 57 का उपनियम (3)	लाग बुक के टाइप उनकी अंतर्वस्तु और प्रविष्टियों तथा लाग बुक के प्रमाणन की रीति और परीक्षण की पद्धति को विनिर्दिष्ट करना ।

(1)	(2)
	विमान क्षेत्र
60 नियम 78-क	सरकारी विमान क्षेत्रों में प्रवेश की अनुज्ञा देना ।
	विनियामक उपबंध
61 नियम 133क	"नोटम" जारी करना ।
62. नियम 133क	वायुयान के स्वामियों को और अनुरक्षण इंजीनियरों को नोटिस जारी करना ।
63. 133क	नागर विमानन की अपेक्षाओं को जारी करना ।
64. नियम 133ख का उपनियम (3)	अनुमोदन की प्रणाली के अधीन प्रचालन करने के लिए किसी संगठन का अनुमोदन करना ।
65. नियम 133ख का उपनियम (3)	अनुमोदन प्रणाली के अधीन प्रचालन करने के लिए व्यक्तियों का अनुमोदन करना ।
66 नियम 133ख का उपनियम (3)	अनुमोदन की प्रणाली के अधीन संगठन/व्यक्ति से कार्य करने की अपेक्षा करना और इस प्रयोजन के लिए अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करना ।
67. नियम 133ख के उपनियम (4) (क) (4) (ख) और (4) (ग)	निर्देशिका की अंतर्वस्तु और प्रारूप को विनिर्दिष्ट करना और अनुमोदन की अपेक्षा करना ।
68. नियम 133ख का उपनियम (5)	नियम 133ख के अधीन अपेक्षित किसी निर्देशिका के वितरण पैटर्न को विनिर्दिष्ट करना ।
69. नियम 133ख का उपनियम (8)	अभिलेखों में उस टाइप को जो कोई संगठन रखेगा और उसके परिरक्षण की रीति को विनिर्दिष्ट करना ।
70. नियम 133ख का उपनियम (8)	निरीक्षण और जांच के लिए अभिलेखों, रिपोर्टों, लोगों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ।
71. नियम 133ख का उपनियम (10)	किसी व्यक्ति को या किसी संगठन को अनुदत्त किसी अनुमोदन या प्राधिकार को रद्द करना, निलंबित करना या पृष्ठांकित करना या नियमों के अधीन उसके संबंध में कोई अन्य कार्रवाई करना ।
72. नियम 133ग के अधीन टिप्पण 4(3)	संदत्त फीस के उस भाग को वापस करना जो किसी ऐसे निरीक्षण परीक्षा परीक्षण को जो नहीं किया गया लागत से संबंधित है ।
73. नियम 140	इंजीनियरी/निरीक्षण निर्देशिका संबंधी अपेक्षाओं का विनिर्दिष्ट करना ।
74. नियम 140	वायु मार्गों से संबंधित अपेक्षाओं का विनिर्दिष्ट करना ।
75. नियम 140	हवाई कर्मीदल से संबंधित अपेक्षाओं का विनिर्दिष्ट करना ।
76. नियम 155 का उपनियम (1) और उपनियम (2)	प्राइवेट वायुयान, वायुयान संघटक या उपस्कर की मद के लिए अनुरक्षण मानकों को विनिर्दिष्ट करना और अभिलेखों के परीक्षण की अवधि विनिर्दिष्ट करना ।
77. नियम 155क का उपनियम (2)	अनुमोदन अनुरक्षण प्रणाली के अधीन प्रचालन करने के लिए अनुसूचित विमान संकर्म प्रचालकों और उड्डयन क्लबों को अनुमोदन प्रदान करना या उनसे अपेक्षा करना ।
78. नियम 155 के उपनियम (3) का खंड (क)	नियम 155 क के अधीन अपेक्षित निर्देशिका की अंतर्वस्तु और प्ररूप को विनिर्दिष्ट करना ।
79. नियम 155 के उपनियम (3) के खंड (ख) और खंड (ग)	किसी निर्देशिका के पूर्णतः या भागतः का और नियम 155 क के अधीन अपेक्षित उसके पुनरीक्षण का अनुमोदन करना ।
80. नियम 155क का उपनियम (4)	नियम 155 क के अधीन अपेक्षित किसी निर्देशिका के वितरण का निदेश देना ।
81. नियम 155क का उपनियम (7)	अभिलेखों के उस टाइप को विनिर्दिष्ट करना, जो कार्ड प्रचालक बनाए रखेगा ।
82. नियम 155क का उपनियम (7)	निरीक्षण और जांच के लिए अभिलेखों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना और उस अवधि को विनिर्दिष्ट करना जिस अवधि के लिए अभिलेखों को रखा जाएगा ।
83. नियम 155क का उपनियम (9)	किसी व्यक्ति या किसी संगठन को अनुदत्त किसी अनुमोदन या प्राधिकार को रद्द करना, निलंबित करना या पृष्ठांकित करना या इन नियमों के अधीन उसके संबंध में कार्रवाई करना ।

[फा.सं.ए.वी. 11016/1/93-ए (ii)]

पी. के. बैनर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 1994

S.O. 726 (E).—In pursuance of sub-rule (2) of rule 3A of the Aircraft Rules, 1937, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation No. S.O. 3562, dated the 29th September, 1976, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby authorises the officers specified in column (1) of the First Schedule annexed hereto to exercise such of the powers of the Director General

of Civil Aviation (morespecifically described in the Second Schedule annexed hereto) as are specified in the corresponding entries in column (2) of the said First Schedule.

FIRST SCHEDULE

Designation of the Officer	Powers in the Second Schedule to be exercised.
1	2
Joint Director General of Civil Aviation (except Joint Director General of Civil Aviation Research & Development	All
Deputy Director General of Civil Aviation (except Deputy General of Civil Aviation Research & Development	1 to 5, 7, 12, 13, 15 to 37, 39 to 83.
Director of Airworthiness (Headquarters)	1 to 5, 7, 12, 13, 15 to 37, 39 to 42, 47, 48, 50, 51, 53 to 56, 58, 59, 64 to 73, 76 to 83.
Director of Airworthiness (Region)	4, 16, 18 to 34, 36, 37, 39 to 42, 47, 48, 50, 51, 54, 58, 64 to 70, 73, 76 to 82.
Deputy Director of Airworthiness (Headquarters)	2 to 4, 16 to 21, 26 to 34, 36, 37, 39 to 42, 50, 53 to 56, 65 to 70, 79 to 82.
Controller of Airworthiness	4, 16, 18, 21, 22, 25 to 28, 30, 34, 37, 39, to 41, 50, 51, 58, 65, 70, 77, 79 to 82.
Senior Airworthiness Officer (Headquarters)	4, 17, 18 (Restricted to aircraft with all-up-weight upto 15,000 Kgs.) 20, 21 26, 37, 39, 70, 79, 82.
Senior Airworthiness Officer (Incharge of Airworthiness Office)	4, 18 (Restricted to aircraft with all-up-weight upto 15,000 Kgs.), 21, 26, 37, 39, 70, 79, 82.
Senior Airworthiness Officer (Region)	4, 18 (Restricted to aircraft with all-up-weight upto 15,000 kgs.) 26 to 28, 37, 39, 70, 82.
Airworthiness Officer (Incharge of Airworthiness Office)	4, 18 (Restricted to aircraft with all-up-weight upto 2,000 Kgs.), 26 to 28, 37, 39, 70, 82.
Airworthiness Officer	4, 18 (Restricted to aircraft with all-up-weight upto 2,000 kgs.) 26, 37, 70, 82.
Joint Director General of Civil Aviation (Research & (Development)	10 to 12, 15 to 17, 30, 31, 41, 47, 48, 51
Deputy Director General of Civil Aviation (Research & Development).	10 to 13, 15 to 17, 30, 31, 41 47, 48, 51.
Director of Research and Development	16, 17, 30, 31, 51.
Deputy Director of Research and Development.	16, 17, 30, 31, 51
Director of Air Safety	51, 52, 70.
Deputy Director of Air Safety	51, 52, 70.
Regional Controller of Air Safety	51, 52, 70
Assistant Director of Air Safety	51, 70.
Senior Air Safety Officer	51, 70
Air Safety Officer.	51, 70
Director of Training and Licensing	7, 75
Director of Regulations and Information.	74.
Deputy Director of Air Transport	74.
Commissioner of Security (Civil Aviation)	60
Additional Commissioner of Security (Civil Aviation)	60
Deputy Commissioner of Security (Civil Aviation)	60.
Chairman National Airport Authority and Officer of National Airports Authority authorised by the Chairman	61.

SECOND SCHEDULE

Sl. No.	Rule by which power conferred	Nature of power
1	2	3
	GENERAL	
1.	Rule 7B	To specify cockpit check list and emergency check list in respect of an aircraft registered in India.
2.	Sub-rule (2)(i) of rule 15	To specify minimum design requirements for microlight aircraft.
3.	Sub-rule (2)(ii) of rule 15.	To issue and renew Permit to Fly in respect of a microlight aircraft.
4.	Sub-rule (2)(ii) of rule 15.	To renew Permit to Fly in respect of a microlight aircraft.
	REGISTRATION OF AIRCRAFT	
5.	Sub-rule (2)(a) and (2)(b) of rule 37.	To specify the form and manner of affixing Nationality and Registration marks.

1	2	3
	PERSONNEL OF AIRCRAFT	
6.	First proviso to rule 41	To exempt certain personnel of Indian Air Force, Air Operational Wing of Indian Army or Indian Navy from flying tests and medical and other technical examinations for the issue of Private Pilot's Licence, Commercial Pilot's Licence and Glider Pilot's Licence.
7.	Sub-rule (1) of rule 41A	To conduct examinations specified in Schedule II, to fix examination centres to appoint invigilators and lay down procedures thereof.
8.	Sub-rule (2) of rule 41A	To appoint Examiners for carrying out flying tests and technical examinations required under Schedule II.
9.	Sub-rule (3) of rule 41A	To approve check pilots and examiners for carrying out proficiency checks in individual cases on a one-time basis.
	AIRWORTHINESS AND AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERS	
10.	Sub-rule (1) of rule 49 and 49A	To direct that there shall be a Type Certificate for aircraft, aircraft component or item of equipment designed, manufactured, sold or distributed in India as a pre-requisite for issue, renewal or continued validity of Certificate of Airworthiness of an Aircraft.
11.	Sub-rule (3) of rule 49 and Sub-rule (2) of rule 49A and rule 49B	To issue or validate Type Certificate and to specify documents and other evidence necessary for the purpose.
12.	Proviso to rule 49B	To exempt an aircraft, aircraft component, or item of equipment from the provision of this rule.
13.	Rule 49C	To group Type Certificates whether issued or validated in one or more categories.
14.	Rule 49D	To cancel Type Certificate of an aircraft, aicraft component or item of equipment which has been issued or validated.
15.	Rule 49D	To suspend or endorse Type Certificate of an aircraft, aircraft component or item or equipment which has been issued or validated.
16.	Rule 49D	To require incorporation of any modification in aircraft, aircraft component or item of equipment as a condition for continued validity of Type Certificate which has been issued or validated.
17.	Sub-rule (2) & (3) of rule 50.	To issue, renew or validate Certificate of Airworthiness in respect of an aircraft and to specify documents or other evidence or technical data for the purpose.
18.	Sub-rule (2) of rule 50	To renew Certificate of Airworthiness in respect of an aircraft and to specify documents and other evidence for the purpose.
19.	Sub-rule (4) of rule 50.	To issue, renew or validate Certificate of Airworthiness of an aircraft in one or more categories.
20.	Sub-rule (5) of rule 50	To specify the period of validity of Certificate of Airworthiness of an aircraft.
21.	Sub-rule (5) of rule 50	To authorise person to inspect an aircraft.
22.	Sub-rule (5) of rule 50	To require aircraft to be tested in flight.
23.	Sub-rule (1) of rule 50A	To specify conditions in respect of Certificate of Airworthiness of a particular type of class or aircraft.
24.	Sub-rule (1) of rule 50A	To specify standards in respect of certificate of Airworthiness of a particular type or class of aircraft.
25.	Sub-rule (2) of rule 50A	To require modification to be incorporated in an aircraft, its component or item of equipment for the Certificate of Airworthiness of Aircraft remaining in force.
26.	Sub-rule (2) of rule 50A	To require repairs to be carried out on any aircraft, its component or item of equipment or to require replacement of any component or item of equipment of an aircraft for the Certificate of Airworthiness of the aircraft remaining in force.
27.	Sub-rule (2) of rule 50A	To require any inspection to be carried out on an aircraft, aircraft component or item of equipment for Certificate of Airworthiness of aircraft remaining in force.

1	2	3
28.	Sub-rule (2) of rule 50A	To require overhaul of an aircraft, its component or item of equipment for Certificate of Airworthiness of Aircraft remaining in force.
29.	Rule 51.	To endorse the certificate of Airworthiness for carriage of Flight Manual.
30.	Sub-rule (3) of rule 52.	To approve modification in respect of an aircraft, aircraft component or item of equipment and to specify evidence for the same.
31.	Sub-rule (3) of rule 52.	To approve repair schemes in respect of an aircraft, aircraft component or item of equipment and to specify evidence for the same.
32.	Sub-rule 5(a) & 5(b) of rule 52.	To specify manner of certification required after major damage or major defect has been rectified.
33.	Sub-rule (6) & (7) of rule 52.	To specify form, manner or distribution and preservation of the Certificate issued after an aircraft, component or item of equipment has been modified or repaired and to specify or approve instructions for the purpose.
34.	Sub-rule (1) of rule 53.	To specify persons, licenced/approved/authorised, responsible for inspection and certification.
35.	Sub-rule (3) of Rule 53.	To exempt person or class of persons from the proviso to Rule 53 either wholly or partly.
36.	Rule 53A.	To specify form & manner, distribution and preservation of the copies of Certificates required to be issued for manufacture and distribution of aircraft, aircraft components and item of equipment or any other material used or intended to be used in an aircraft.
37.	Sub-rule (2) Clause (a) of rule 55.	To suspend a Certificate of Airworthiness.
38.	Sub-rule (2) Clause (a) of rule 55.	To cancel Certificate of Airworthiness.
39.	Sub-rule (2) Clause (b) of rule 55.	To specify that an aircraft, aircraft component or item of equipment should undergo modification, repair, replacement, overhaul, inspection including Flight Tests under supervision of an approved person as a condition of Certificate of Airworthiness remaining in force.
40.	Sub-rule (4) clause (a) of rule 55	To permit ferry flight without passeger of an aircraft whose Certificate of Airworthiness is suspended or deemed to be suspended.
41.	Sub-rule (4) clause (b) of rule 55.	To authorise flights for the purpose of experiment or tests.
42.	Sub-rule (4) clause (c) of rule 55.	To authorise flights where safety or succour of persons or aircraft is involved.
43.	Sub-rule (4) clause (d) of rule 55.	To authorise flights for special purposes.
44.	Sub-rule (5) of rule 55	To exempt Aircraft from Operation of rule 55.
45.	Sub-rule (a) of rule 56.	To recognise the requirement of contracting states for the purpose of requirements of Rule 56.
46.	Sub-rule (b) of rule 56	To recognise the qualifications of person of Non-contracting states for certification as required under rule 56.
47.	Sub-rule (1) & (2) of rule 57.	To specify and approve the installation of instruments and equipment of any other special equipment for an aircraft including radio apparatus.
48.	Sub-rule (1) & (2) of rule 58.	To specify maximum permissible weight, corresponding centre of gravity limits, condition for weighing of aircraft and display of weight schedule, load and trim sheets.
49.	Proviso to rule 58.	To exempt an aircraft from the operation of rule 58.
50.	Sub-rule (1) of rule 59.	To specify manner of reporting major defect or major damage.
51.	Sub-rule (2) of rule 59.	To require delivery of defective aircraft components or parts to any person or organisation.
52.	Sub-rule (1) of rule 59A.	To prohibit from flight any foreign aircraft which sustains any major damage o in which any major defect found.
53.	Sub-rule (4) of rule 59A.	To permit flights of any foreign aircraft which has suffered major damage and to impose conditions therefor.
54.	Sub-rules (2) (a) and (2)(b) of rule 60.	To specify conditions and standards for maintenance for any aircraft component or item of equipment.

1	3
55. Sub-rules (3) and (4) of rule 60	To specify maintenance requirements, personnel for certifying maintenance and contents, form, period of validity and disposition, preservation of the Certificate required under rule 60.
56. Sub-rule (5) of rule 60	To approve deficiency list in respect of an aircraft or class of aircraft.
57. Proviso to rule 60	To exempt an aircraft from the operation of rule 60.
LOG BOOKS	
58. Sub-rule (2) of rule 67	To require technical log or flight log to be provided in respect of an aircraft and to specify its methods of maintenance.
59. Sub-rule (3) of rule 67	To specify type of log books, their contents and entries and manner of certification of log books and their period of preservation.
AERODROMES	
60. Rule 78A	To permit entry into Government aerodromes.
REGULATORY PROVISIONS	
61. Rule 133A	To issue NOTAMJ (Notices to Air Men)
62. Rule 133A	To issue notices to Aircraft owners and Maintenance engineers.
63. Rule 133A	To issue Civil Aviation Requirements.
64. Sub-rule (3) of rule 133B	To approve an organisation to operate under the system of approval.
65. Sub-rule (3) of rule 133B	To approve persons to operate under the system of approval.
66. Sub-rule (3) of rule 133B	To require organisation / person to work under the system of approval and to specify requirements for the purpose.
67. Sub-rule (4)(a), (4)(b) & (4) (c) of rule 133B	To specify contents and form of manuals and require its approval.
68. Sub-rule (5) of rule 133B	To specify the distribution pattern of any of the manuals required under rule 133B.
69. Sub-rule (8) of rule 133B	To specify the type of records an organisation shall maintain and the manner of preserving the same.
70. Sub-rule (8) of rule 133B	To require production of records, reports, logs, drawings for inspection and check.
71. Sub-rule (10) of rule 133B	To cancel, suspend or endorse or take any other action under the rules on any approval or authorisation granted to an individual or to an organisation.
72. Note 4.(3) under rule 133C	To refund such portion of the fees paid as may represent the cost of any inspection, examination, test not carried out.
73. Rule 140	To specify requirements concerning engineering/inspection manual.
74. Rule 140	To specify requirements concerning air routes.
75. Rule 140	To specify requirements concerning air crew.
76. Sub-rule (1) and (2) of rule 155	To specify maintenance standards for private aircraft, aircraft component or item of equipment and to specify period of preservation of records.
77. Sub-rule (2) of rule 155A	To grant approval or require scheduled, non-schedules, aerial work operators and flying clubs to operate under approved Maintenance system.
78. Clause (a) of sub-rule (3) of rule 155A	To specify contents and form of Manuals requied under rule 155A.
79. Clause (b) and (c) of sub-rule (3) of rule 155A	To approve complete or parts of any of the manuals and its revisions as required under rule 155A.
80. Sub-rule (4) of rule 155A	To direct distribution of any of the manual required under rule 155A.
81. Sub-rule (7) of rule 155A	To specify type of records an operator shall maintain.
82. Sub-rule (7) of rule 155A	To require production of records, for inspection and check and to specify the period for which the records shall be kept.
83. Sub-rule (9) of rule 155A	To cancel, suspend or endorse or take any other action under these rules on any approval or authorisation granted to an individual or an operator.

[F.No. AV-11016/1/93-A(i) 3]
P.K. BANERJI, Jt. Secy.

2286 GI 94—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995